मुख्यालय
कर्मचारी राज्य बीमा निगम
पंचदीप भवन, सी.आइ.जी. मार्ग नई दिल्ली – 110 002
www.esic.nic.in

सं. ए–49/16/3/2012–रा.भा. दिनांकः 12.11.2013

कार्यालय ज्ञापन

विषयः निगम कार्यालयों में विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में जलपान पर खर्च की जाने वाली राशि के संबंध में ।

निगम के विभिन्न कार्यालयों से समय–समय पर प्राप्त अनुरोधों/संदर्भों में यह देखने में आया है कि निगम कार्यालयों/अस्पतालों में आयोजित की जाने वाली विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति (विराकास) की बैठकों में जलपान पर खर्च की जाने वाली राशि के बारे में अस्पष्ट स्थिति बनी हुई है ।

इस संबंध में विदित हो कि निगम मुख्यालय की सामान्य शाखा के दिनांकः 23.11.2011 के परिपत्र सं. डी/11/14/मितोपभोग उपाय/श्रम एवं रोजगार मंत्रालय/डी.डी.जी./2011/सामान्य के पृष्ठ सं. 2 पर 'घ.आतिथ्य सत्कार' के क्र.सं. 3 पर स्पष्ट किया गया है कि औपचारिक बैठकों के लिए जलपान हेतु 40/–रु. एवं अनौपचारिक बैठकों के लिए 20/–रु. प्रति प्रतिभागी प्रति बैठक का खर्च किया जा सकता है । चूंकि, विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक एक औपचारिक बैठक है, अतः इसमें 40/–रु. प्रति प्रतिभागी प्रति बैठक तक खर्च किया जा सकता है ।

इसे बीमा आयुक्त (राजभाषा) के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

(डॉ. पन्ना प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (रा.भा.)

सेवा में,

1. बीमा आयुक्त (राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी), नई दिल्ली ।
2. सभी क्षेत्रीय निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय ।
3. सभी निदेशक/प्रभारी संयुक्त निदेशक, उप क्षेत्रीय कार्यालय ।
4. सभी चिकित्सा अधीक्षक, क.रा.बी.नि.अस्पताल ।
5. निदेशक, निदेशालय (चिकित्सा) दिल्ली/नोएडा ।
6. वेबसाइट सामग्री प्रबंधक, मुख्यालय को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।

Sumer Singh/New User294/Desktop/Hindi Patrachar/Hindi Karyashala.doc

वेबसाइट की विषय–सूची का प्रबंधन
Website Contents Management
डायरी सं./Diary No. 646
दिनांक/Date 13/11/13